उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या- 19 /2021/101प्र0स0 /92-2-21-65एम/2019

लखनऊ:: दिनांक 09 मार्च, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

सांसद निधि योजनान्तर्गत मा0 श्रीमती मेनका गॉधी, पूर्व सांसद ऑवला की निधि से ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को स्वीकृत 14 कार्यो के निर्माण कार्यो तथा टेण्डर प्रक्रिया की जांच कर टी0ए0सी0 ग्राम्य विकास विभाग, बरेली मण्डल बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में 11 निर्माण कार्यो में कुल रू0 2,96,734.00 की शासकीय क्षति परिलक्षित हुई, जिसके लिये प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-141/2019/2363/92-2-19-65एम/ 2019 दि0 17-10-2019 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूँ के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जांचहेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा को जांच अधिकारी नामित किया गया था। कालान्तर में श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई के पत्र सं0-2738/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0-पत्रा0/19-20 दिनांक 03-01-2020 द्वारा जॉच अधिकारी परिवर्तित किये जाने विषयक अनुरोध के दृष्टिगत शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-29/2020/75/92-2-20-65एम/2019 दि0 23.01.2020 द्वारा अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा के स्थान पर जॉच अधिकारी परिवर्तित करते हुये अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0वि0, परि0-लखनऊ को जॉच अधिकारी नामित किया गया।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-लखनऊ के पत्र संख्या-383/ ग्रा0अ0वि0/अनु0जां0/सहा0अभि0/2020-21 दि0 06-06-2020 द्वारा शासन में जॉच आख्या उपलब्ध करायी गयी। उक्त जॉच आख्या में श्री एस0के0 गुप्ता पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-1 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-160प्र0स0/92-2-20-65 एम/2019 दिनांक 22-06-2020 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दि0 17-07-2020 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी के अभ्यावेदनव अन्य संगत अभिलेखों के शासन द्वारा सम्यक परीक्षणोपरान्त कार्यालय ज्ञाप सं0-1609/92-2-20-65एम/19 दि0 16-10-2020 द्वारा श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई को प्रभावी नियंत्रण में शिथिलता बरतने हेतु उत्तरदायी पाये जाने पर परिनिन्दा का दण्ड देते हुये अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

4- शासन के कार्यालय ज्ञाप दि0 16-10-2020 द्वारा निर्गत दण्डादेश के विरूद्ध अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता के पत्र सं0-83/ग्रा0अ0वि0/व्य0प0/20-21 दिनांक 12-02-2021 द्वारा अपना प्रत्यावेदन शासन में प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन में श्री एस0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के0 गुप्ता द्वारा लगभग उन्हीं तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिन्हें जॉच अधिकारी को दिये गये बचाव उत्तर व शासन में उपलब्ध कराये गये अभ्यावेदन में किया गया था। प्रत्यावेदन में किसी नवीन तथ्य का उल्लेख नही किया गया है। अतएव प्रकरण में शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 16.10.2020 के क्रम में अपचारी अधिकारी श्री एस0के0 गुप्ता तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन दि0 12-02-2021 को बलहीन पाये जाने के कारण निरस्त करते हुये निस्तारित किये जाने की एतदद्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

कल्पना अवस्थी
प्रमुख सचिव।

संख्या-19/2021/101प्र0स0(1)/92-2-2020 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री एस0के0 गुप्ता, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बदायूं सम्प्रति प्रखण्ड-हरदोई द्वारा-निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रमाकान्त शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।